

भगा का बराबर हिस्सा है। खेमा का देहांत होने पर फौतगी mutation भरा गया एवं खेमा के स्थान पर गोकुलराम (प्रार्थी), पुखराज (अप्रार्थी सं. 01) का नाम दर्ज हुआ। उक्त फौतगी mutation में प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 को खेमा के हि. में 1/2-1/2 हि. का सह-स्वातेदार माना था प्रार्थी, अप्रार्थीगणों की सहस्वातेदारी में अन्य भूमि निम्नानुसार है- ख. सं. 931 (10 बीघा 08 बिस्वा), 932 (01 बिस्वा), 933 (06 बीघा 12 बिस्वा)। उक्त तीनों खसरे काना 1/2 हि., हरा 1/2 हि. दर्ज की ख. सं. 876, 931, 932, 933 का मॉरिक्क वंटवारा किया गया, जिसके अनुसार सनी काबिज है। प्रार्थी ख. सं. 931 में 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर काबिज है। ख. सं. 876 में प्रार्थी के पिता का देहांत होने पर प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 को गलत रूप से 1/2 हि. का स्वातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी सं. 02 ने बिना अधिकार ख. सं. 931, 932, 933 में से 1/4 हि. का बेचान कर दिया गया अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र खरिज फरमाया जावे।"

समयान्तर में आदेश लिखा नहीं जा सका। पत्रावली दिनांक 15/07/24 को पेश हो।

Prinika
[Signature]

15/7/24

पत्रावली पेश हुई।
वकीलद्वारा उपरोक्त प्रार्थी/अप्रार्थी।
पत्रावली में काल कोटि लगाया जायगी यदि इसे से [redacted]
इसका हस्ता फरमावी पु [redacted] दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

24/07/24

पत्रावली पेश। प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है - ताफेंसला मूलकद ग्राम कैरु, ख. सं. 876, 931, 932, 933 के record की घथास्थिति बनी रहे तथा मॉके पर

जो
मु
सदरपुर

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जोधपुर

श्रीकलराम बनाम पुखराज व अन्य

केसम मुकदमा 212 - RTA (1955) नं. A/111/ सन 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो आदेश सुनाया
गया पत्रावली फंसल - शुमार होकर दारिबल-
दफतर ही।

Prinika
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

